भारत सरकार
गृह मंत्रालय
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण

प्रथम तल, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ई-13012/2/2025/एलपीएआई/भर्ती

दिनांक : 11.08.2025

रिक्ति परिपत्र

विषय: भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण सचिवालय, नई दिल्ली और इसकी एकीकृत जांच चौकियों में केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय में काम करने वालों से रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति (विदेश सेवा) के आधार पर भरना।

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई), भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर विभिन्न स्थानों पर भूमि पत्तनों/एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) के विकास और प्रबंधन के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2010 के अधीन स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो अपने सचिवालय और एकीकृत जांच चौकियों के लिए केंद्र/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा) के आधार पर निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव करता है:-

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण सचिवालय, नई दिल्ली

क्र.सं.	पद का नाम	पूर्व-संशोधित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन	वेतन मैट्रिक्स स्तर (7th CPC)	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1.	निदेशक	वेतन बैंड -4 + 8700	स्तर -13	1
2.	अनुभाग अधिकारी	वेतन बैंड -2 + 4600	स्तर - 7	1
3.	निजी सचिव	वेतन बैंड -2 + 4600	स्तर - 7	1
4.	सहायक	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	1
5.	कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल)	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	4
6.	निजी सहायक	वेतन बैंड -2 + 4200	स्तर - 6	1
			उप योग (ए)	**9**

2. **(i) सक्षम प्राधिकारी, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के विवेक पर रिक्तियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।**

(ii) एकीकृत जांच चौकियों में रिक्त पदों के लिए चयनित अधिकारी/कर्मचारी को अटारी, जोगबनी, रक्सौल, अगरतला, डॉकी, पेट्रापोल, मोरेह, रुपेडिहा, सबरूम, सुतारकंडी, डेरा बाबा नानक, श्रीमंतपुर, मनकाचर, दरांगा, गोलकगंज में स्थित किसी भी एकीकृत जांच चौकियों में तैनात किया जा सकता है।

(iii) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए ही) जीपीआरए के लिए एक पात्र कार्यालय है।

3. उपरोक्त पदों के लिए पात्रता और अन्य शर्तों के साथ-साथ कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण **अनुबंध 'ए'** में दिया गया है।

4. आवेदन का प्रारूप **अनुबंध -'बी'** में संलग्न है।

5. **लेवल 7 और उससे नीचे** के पदों के लिए आवेदकों को कंप्यूटर का, विशेष रूप से ई-ऑफिस, ईमेल आदि सहित एमएस ऑफिस के सभी मॉड्यूल में, बुनियादी कामकाजी ज्ञान होना चाहिए।

6. प्रतिनियुक्ति प्रारंभ में **पांच वर्ष** की अवधि के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि में केंद्र सरकार में उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले धारित किसी अन्य संवर्ग- बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति इस नियुक्ति से नियमित नियुक्ति का कोई दावा नहीं कर सकेगा।

7. प्रतिनियुक्ति इस विषय पर डीओपीएंडटी के विभिन्न परिपत्रों और विशेष रूप से डीओपीएंडटी के ओएम संख्या 6/8/2009-स्था. (वेतन II) दिनांक 17.06.2010 और उसके बाद किए गए संशोधन में यथा निर्धारित प्रतिनियुक्ति के निबंधन और शर्तों के अधीन होगी।

8. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **26.09.2025** है।

9. इच्छुक और पात्र अधिकारियों के आवेदन, जिनको सेवाओं से तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है, पिछले 5 वर्ष की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां और सतर्कता मंजूरी/सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ उचित माध्यम से **उप सचिव (प्रशासन), भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, प्रथम तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 को भेजे जाएं, ताकि वे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में 26-09-2025 तक पहुंच जाये।**

10. आवेदक उपरोक्त पते पर डाक द्वारा और ईमेल आईडी: **dsga-lpai@lpai.gov.in** पर अग्रिम प्रतियां भेज सकते हैं। तथापि, केवल नियत तिथि तक उचित माध्यम से प्राप्त और सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों पर ही चयन के लिए विचार किया जाएगा।

11. इस संबंध में सभी विवरण इस प्राधिकरण की वेबसाइट **http://lpai.gov.in** से रिक्तियां टैब और गृह मंत्रालय: **http://mha.nic.in/vacancies** पर प्राप्त किए जा सकते है।

(मधुकर पांडेय)
उप सचिव (प्रशासन)
E-mail:- dsga-lpai@lpai.gov.in
Tel:- 011-24340708

1. भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।

2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और आवासीय आयुक्तों से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।

3. निदेशक (सीएस प्रभाग) DoP&T, लोक नायक भवन, खान मार्केट से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें और इसे वेबसाइट पर भी पोस्ट करें।

4. महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

5. डीजी बीएसएफ, ब्लॉक नंबर 10, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।

6. डीजी एसएसबी, विवेकानंद मार्ग, ईस्ट ब्लॉक 5, आरके पुरम, नई दिल्ली, दिल्ली 110066 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।

7. डीजी आईटीबीपी, ब्लॉक नंबर-2, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली, दिल्ली 110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।

8. महानिदेशक असम राइफल्स, ई. खासी हिल्स (शिलांग), मेघालय, भारत से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।

9. महानिदेशालय, सीआरपीएफ, ब्लॉक नंबर-1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से अनुरोध है कि अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच इसको व्यापक रूप से प्रसारित करें।

10. सचिव (बीएम) के पीपीएस/ संयुक्त सचिव (बीएम) /उप सचिव(बीएम-II),गृह मंत्रालय के पीएस

11. सभी एकीकृत जांच चौकी के प्रबंधक इसे अपने नोटिस बोर्ड पर लगाएं।

12. आईटी अनुभाग, गृह मंत्रालय इसे बीएम-II प्रभाग, गृह मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in/vacancies पर पोस्ट करवाएं।

13. आईटी प्रभाग, एलपीएआई इसे एलपीएआई की वेबसाइट http://lpai.gov.in पर उपयुक्त स्थान पर पोस्ट करें।

14. संयुक्त सीजीए, महालेखा नियंत्रक भवन, वित्त मंत्रालय, जीपीओ कॉम्प्लेक्स ब्लॉक-ई, एविएशन कॉलोनी, नई दिल्ली-110023

15. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, भीकू राम जैन मार्ग, राजपुर रोड, ब्लॉक बीजीएस, कमला नेहरू रिज, सिविल लाइंस नई दिल्ली-110054 से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

16. अध्यक्ष सीबीडीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

17. अध्यक्ष रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसे अपने नियंत्रणाधीन सभी अधिकारियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित करें।

(मधुकर पांडेय)
उप सचिव (प्रशासन)
E-mail:- dsga-lpai@lpai.gov.in

Tel:- 011-24340708

अनुबंध -'क'

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में भरे जाने वाले 6, 7 और 13 (7वें सीपीसी का वेतन मैट्रिक्स) के स्तर के पदों के लिए पात्रता मानदंड।

1.	**निदेशक**	**प्रतिनियुक्ति -** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश अथवा समकक्ष पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 12 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और **(ख)** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में व्यापार और वाणिज्य, नीति, सुरक्षा, योजना और विकास, प्रशासन, वित और कानूनी मामलों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2.	अनुभाग अधिकारी	**प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्हौंने वेतन स्तर 6 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और **(ख)** जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में नीति, योजना और विकास, प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त, सतर्कता, न्यायालय के मामलों, संचार संबंधित मामलों के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **अल्पकालिक संविदा-** जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

3.	**निजी सचिव**	**प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने वेतन स्तर 6 अथवा समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और **(ख)** जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में निजी सचिव के रूप में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **अल्पकालिक संविदा-** जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
4.	**सहायक**	**प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र

		प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी- **(क)** (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्हौंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो; और **(ख)** जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में प्रशासन, मानव संसाधन विकास, वित्त में तीन वर्ष कार्य करने अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर " प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **अल्पकालिक संविदा-** जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
5.	**कनिष्ठ इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल एवं सिविल)**	**प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के अधिकारी-

		(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने लोक निर्माण विभाग या समतुल्य में वेतन स्तर 5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और **(ख)** जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सिविल इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी में कार्य करने और सन्निर्माण कार्यकलापों की मॉनिटरिंग करने का तीन वर्ष का अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति "(अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। **टिप्पण 2-** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **अल्पकालिक संविदा-** जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
6.	**वैयक्तिक सहायक**	**प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है) -** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत निकाय के अधिकारी-

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii (जिन्होंने वेतन स्तर 5 या समतुल्य वेतन स्तर में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा की हो;

(iii) जिन्होंने वेतन स्तर 4 या समतुल्य वेतन स्तर में आशुलिपिक श्रेणी घ या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो; और

(ख) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय में सचिवालय कार्यप्रणाली, कार्यालय प्रबंधन, प्रभावी संप्रेषण कौशल, लोकव्यवहार तथा संबंधित मामलों में पांच वर्ष कार्य करने का अनुभव रखते हो।

टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक निकाय या स्वायत्त निकाय के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)" की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष की आरंभिक अवधि है और इसे उधारदाता संगठन के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन वार्षिक आधार पर सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अल्पकालिक संविदा-

जहां प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति पर उपयुक्त अधिकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है वहां प्राधिकरण ऐसी रिक्तियां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के ऐसे अधिकारियों, जो सदृश पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनकी आयु 65 वर्ष से कम है तथा उपयुक्त अर्हताएँ और अनुभव रखते हैं, में से एक समय में अधिकतम छः मास की अवधि के लिए अल्पकालिक संविदा नियोजन द्वारा भर सकेगा। पारिश्रमिक का भुगतान इस विषय पर केंद्रीय सरकार के वर्तमान नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

अनुबंध 'बी'

....

के पद के लिए आवेदन:

स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटो

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
1.	आवेदक का नाम, पदनाम और पूरा कार्यालय पता (स्पष्ट अक्षरों में) ईमेल एवं टेलीफोन नंबर	
2.	पिता का नाम	
3.	आवासीय पता तथा फ़ोन नंबर	
4.	स्थायी पता	
5.	जन्मतिथि (अंकों में)	
6.	क्या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है।	
7.	केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन/सांविधिक निकाय/स्वायत्त निकाय में प्रथम कार्यग्रहण की तारीख	
8.	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन / सांविधिक निकाय / स्वायत्त निकाय के तहत सेवानिवृत्ति की तारीख	
9.	शैक्षिक अर्हताएं	
10.	क्या अखिल भारतीय या संगठित ग्रेड ए सेवाओं से संबंधित है? यदि हां, तो सेवा और बैच का नाम बताएं।	
11.	नियमित (अर्थात् मूल) आधार पर धारित पद और वह तारीख, जब से ग्रेड वेतन धारित किया गया हो, बताएं।	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

12.	वर्तमान वेतन	
13.	पिछले 10 वर्षों के रोजगार का कालानुक्रमिक विवरण। अपने हस्ताक्षर से विधिवत अनुप्रमाणित एक अलग शीट संलग्न करें।	

कार्यालय/संगठन का नाम जहां कार्यरत हैं	धारित पद	कब से	कब तक	मूल वेतन	ग्रेड वेतन	मुख्य कार्य

14.	वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी या स्थायी	
15.	यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर है, तो कृपया बताएं क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख ख) प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्ति की अवधि ग) मूल कार्यालय/ संगठन का नाम जिससे संबंधित है।	
16.	प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम में भाग लिया	
17.	आपके वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण:- कृपया बताएं कि क्या आप निम्न में से किसके अधीन काम कर रहे है- क) केंद्र सरकार ख) राज्य सरकार ग) स्वायत्त संगठन घ) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ङ) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम च) सांविधिक निकाय/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन	
18.	अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसे आवेदक अनुबंध -ए के कॉलम 2 में उल्लिखित "कर्तव्यों" के साथ-साथ पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहे। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।	
19.	एकीकृत जांच चौकियों में नियुक्ति के लिए स्थान की प्राथमिकता: i) ii) iii)	

तारीख :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मोबाइल नंबर:----------------

पत्राचार के लिए पता:

<u>आवेदक द्वारा घोषणा</u>

1. मैं, ... **(आवेदक का नाम)** एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में .... के पद पर **(पद का नाम)** प्रतिनियुक्ति पर मेरी तैनाती से मुझे प्रतिनियुन्ति या नियमित नियुक्ति पर मेरे द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में उक्त पद पर वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं देगा।

2. मैं उक्त पद पर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण में आमेलन का दावा नहीं करूंगा/ करूंगी।

3. ऊपर दिए गए विवरण में किसी भी अशुद्धि के लिए या प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाले नियमों/आदेशों में किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए मैं अपने मूल संगठन में वापस भेजे जाने के लिए उत्तरदायी हूं।

तारीख:

स्थान: **(आवेदक के हस्ताक्षर)**

<u>आवेदन अग्रेषित करते समय कार्यालयाध्यक्ष /भारत सरकार में अवर सचिव पद के अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाने वाला प्रमाण पत्र</u>

1. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिए गए विवरण सही हैं और सेवा रिकॉर्ड से सत्यापित किए गए हैं।

2. आवेदक को चयनित होने पर, तुरंत कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

3. पिछले पांच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियां संलग्न हैं।

4. अधिकारी की सेवा के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की गई है और यह प्रमाणित किया जाता है कि उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में कोई संदेह नहीं है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक / सतर्कता का मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है और वह सतर्कता की दृष्टि से निर्दोष है।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ा/छोटा जुर्माना नहीं लगाया गया है या उस पर विचार नहीं किया गया है।

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर:____________________

नाम:____________________

पदनाम

टेलीफ़ोन नंबर

शासकीय सील :

ध्यान दें: प्रतिनियुक्ति / विदेशी सेवाओं के सभी निबंधन और शर्तों का DoP&T का.ज्ञा संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन II) दिनांक 17.06.2010 और समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।